UNFCCC में पार्टियों का 28वाँ सम्मेलन

प्रलिम्सि के लिये:

पार्टियों का 28वाँ सम्मेलन (COP28), जलवायु परविर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय (UNFCCC), लॉस एंड डैमेज (L&D) फंड, अनुकूलन पर वैश्वकि लक्ष्य, ग्लोबल स्टॉकटेक ड्राफ्ट, पेरसि समझौता

मेन्स के लिये:

जलवायु परविर्तन और उसका प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण तथा क्षरण, पार्टियों का 28वाँ सम्मेलन (COP28)

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जलवायु परविर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय (UNFCCC) के लिये पार्टियों का 28वाँ सम्मेलन (कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़-28) **दुबई, संयुक्त अरब अमीरात** में आयोजित किया गया था।

COP28 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **लॉस एंड डैमेज (L&D) फंड:**
  - COP28 के सदस्य देश जलवायु परविर्तन के प्रभावों का सामना कर रहे देशों को प्रतिपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से लॉस एंड डैमेज (L&D) फंड को संचालित करने के लिये एक समझौते पर पहुँचे।
    - UNFCCC तथा पेरसि समझौते के अनुरूप, विश्व बैंक चार वर्षों के लिये फंड/निधि का "अंतरिम मेज़बान" होगा।
  - सभी विकासशील देश आवेदन करने के पात्र हैं तथा प्रत्येक देश को स्वेच्छा से योगदान देने के लिये "आमंत्रति" किया जाता है।
    - **अल्प विकसित देशों तथा लघु द्वीपीय विकासशील देशों** के लिये फंड का एक विशिष्ट प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
- **ग्लोबल स्टॉकटेक ड्राफ्ट:**
  - ग्लोबल स्टॉकटेक (GST) **वर्ष 2015 में संपन्न हुए पेरसि समझौते** के तहत स्थापित एक आवधिक समीक्षा तंत्र है।
  - **GST** के चौथे मसौदे का अनावरण COP28 में किया गया।
    - मसौदे में वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस के दायरे में रखने के लिये आठ कदम प्रस्तावित हैं:
      - विश्व स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा **क्षमता को तीन गुना करना** तथा वर्ष 2030 तक ऊर्जा दक्षता सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर को दोगुना करना;
      - **CC(U)S तकनीक रहित कोयला विद्युत संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना** तथा नवीन व निर्बाध कोयला विद्युत उत्पादन की अनुमति पर सीमाएँ निर्धारित करना;
      - शुद्ध-शून्य उत्सर्जन **ऊर्जा** प्रणालियों को प्राप्त करने तथा सदी के मध्य से पहले अथवा उसके आसपास तक कम एवं शून्य-कार्बन ईंधन का उपयोग करने के लिये विश्वव्यापी प्रयासों को आगे बढ़ाना;
      - ऊर्जा प्रणालियों में CC(U)S तकनीक रहित जीवाश्म ईंधन के प्रतिस्थापन की दिशा में प्रयासों को बढ़ाने के लिये **शून्य एवं कम उत्सर्जन प्रौद्योगिकियों** में तेज़ी लाना, जिसमें अन्य मुद्दों के साथ-साथ, नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, कमी व निष्कासन प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं, जिनमें कार्बन कैप्चर तथा उपयोग व भंडारण एवं कम कार्बन हाइड्रोजन उत्पादन शामिल हैं।
      - विज्ञान को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2050 तक, उससे पूर्व अथवा उसके आसपास शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिये, जीवाश्म ईंधन **की खपत एवं उत्पादन** दोनों को उचित, व्यवस्थित व न्यायसंगत तरीके से कम करना;
      - वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर विशेष रूप से मीथेन उत्सर्जन को कम करना;
      - बुनियादी ढाँचे के विकास और शून्य तथा कम उत्सर्ज़न वाले वाहनों को तेज़ी से अपनाने के साथ कई उपायों के माध्यम से सड़क परिवहन से उत्सर्जन कटौती में तेज़ी लाना;
      - **अप्रभावी जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को चरणबद्ध** तरीके से समाप्त करना, जो फिज़ूलखर्ची को बढ़ावा देता है और ऊर्जा निर्धनता या सिर्फ बदलावों को संबोधित नहीं करता है।
  - विकासशील और गरीब देश **COP28 में ग्लोबल स्टॉकटेक (GST) के नवीनतम मसौदे पर असंतोष व्यक्त कर रहे हैं** और महत्त्वपूर्ण

बदलावों की मांग कर रहे हैं।
    - मसौदे में **"जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने"** का उल्लेख नहीं है, लेकिन इसमें कोयले के उपयोग पर कड़ी आपत्ति शामिल है। यह **भारत और चीन जैसे अत्यधिक कोयले पर निर्भर रहने वाले देशों के लिये समस्याग्रस्त** है।
    - भारत ने **कोयले के उपयोग के संदर्भ में 'रैपिड' शब्द को शामिल करने पर कड़ा विरोध जताया** है। यह ग्लासगो में COP26 में हुई वार्ता के विपरीत है, जहाँ भारत और चीन ने **कोयला चरण समाप्ति शब्द को 'चरणबद्ध तरीके से कम' करने के लिये** काम किया था।
        - भारत, **जो अपनी लगभग 70% बिजली उत्पादन के लिये कोयले पर निर्भर है** , का लक्ष्य कोयला आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 17 गीगावाट जोड़ने का है।
        - भारत का तर्क है कि उसे **अपनी विकास संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिये कोयले का उपयोग जारी रखने की ज़रूरत** है और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) का पालन करने के महत्त्व पर ज़ोर देता है।
    - विकासशील देश अमीर देशों से नकारात्मक कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का आह्वान करते हैं, न कि 2050 तक शुद्ध शून्य तक पहुँचने का। वे जलवायु परिवर्तन से निपटने में समान लेकिन विभेदित ज़िम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (CBDR-RC) के सिद्धांतों पर भी बल देते हैं।
    - विकासशील देशों का तर्क है कि अमीर देश, **जिन्होंने वैश्विक कार्बन बजट का 80% से अधिक उपभोग किया है,** उन्हें विकासशील देशों को भविष्य के उत्सर्जन में उनका उचित हिस्सा प्रदान करना चाहिये।
- **वैश्विक नवीकरणीय और ऊर्जा दक्षता प्रतिज्ञा:**
    - प्रतिज्ञा में कहा गया है कि हस्ताक्षरकर्त्ता 2030 तक दुनिया की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को कम से कम **11,000 गीगावॉट** तक तीन गुना करने और **2030** तक हर साल ऊर्जा दक्षता सुधार की **वैश्विक औसत वार्षिक दर** को लगभग 2% से दोगुना करके 4% से अधिक करने तथा मिलकर काम करने के लिये प्रतिबद्ध हैं।
- **COP28 के लिए वैश्विक शीतलन प्रतिज्ञा:**
    - इसमें 66 राष्ट्रीय सरकारी हस्ताक्षरकर्त्ता शामिल हैं जो 2050 तक 2022 के स्तर के सापेक्ष वैश्विक स्तर पर सभी क्षेत्रों में शीतलन-संबंधी उत्सर्जन को कम से कम 68% कम करने के लिये मिलकर काम करने के लिये प्रतिबद्ध हैं।
- **जलवायु वित्त:**
    - व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) का अनुमान है कि जलवायु वित्त के लिये नए सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य (NCQG) के तहत धनी देशों पर 2025 में विकासशील देशों का 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर बकाया है।
        - **2015 में पेरिस समझौते** के तहत विकसित देशों द्वारा NCQG की पुष्टि की गई थी।
        - इसका लक्ष्य 2025 से पूर्व एक नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य निर्धारित करना है। यह लक्ष्य प्रति वर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर से शुरू होगा।
        - इसमें शमन के लिये 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर, अनुकूलन के लिये 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर और हानि व क्षतिपूर्ति के लिये 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल हैं।
        - वर्ष 2030 तक यह आँकड़ा बढ़कर 1.55 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है।
    - प्रति वर्ष 100 बिलियन अमरीकी डॉलर का वर्तमान जलवायु वित्त लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, और विकासशील देश ऋण संकट का सामना कर रहे हैं।
    - विशेषज्ञ संरचनात्मक मुद्दों के समाधान और सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिये वैश्विक वित्तीय ढाँचे में सुधार का आह्वान करते हैं।
- **अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य (GGA):**
    - अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य (GGA) पर प्रारंभिक डेटा पेश किया गया था। इसकी स्थापना **पेरिस समझौते** के तहत **1.5/2°C लक्ष्य** के संदर्भ में देशों की अनुकूलन आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता एवं वित्तपोषण बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को बेहतर करने के लिये की गई थी।
    - प्रारूप पाठ महत्त्वपूर्ण मुद्दों को हल करता है:
        - जलवायु-प्रेरित जल की कमी की समस्या का हल।
        - जलवायु-अनुकूल भोजन और कृषि उत्पादन।
        - जलवायु-संबंधी स्वास्थ्य प्रभावों के विरुद्ध समुत्थान शक्ति को मज़बूत करना।
- **ट्रिपल न्यूक्लियर एनर्जी की घोषणा:**
    - COP28 में शुरू की गई घोषणा का लक्ष्य **वर्ष 2050 तक वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को तीन गुना** करना है।
    - 22 राष्ट्रीय सरकारों द्वारा समर्थित घोषणा में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के शेयरधारकों से समर्थन का आह्वान किया गया है। यह शेयरधारकों को **ऊर्जा ऋण नीतियों में परमाणु ऊर्जा को शामिल करने का समर्थन करने के लिये प्रोत्साहित** करता है।
- **पावरिंग पास्ट कोल एलायंस (PPCA):**
    - PPCA राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय सरकारों, व्यवसायों एवं संगठनों का एक गठबंधन है जो **निर्बाध कोयला बिजली उत्पादन से स्वच्छ ऊर्जा** की ओर संक्रमण को आगे बढ़ाने के लिये कार्य कर रहा है।
        - COP28 में PPCA ने नई राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय सरकारों का स्वागत किया तथा स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों का आह्वान किया।
- **कोयला संक्रमण त्वरक:**
    - फ्राँस ने विभिन्न देशों और संगठनों के सहयोग से कोयला संक्रमण त्वरक की शुरुआत की।
        - उद्देश्यों में कोयले से स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन की सुविधा के लिये **ज्ञान-साझाकरण, नीति डिज़ाइन** और वित्तीय सहायता शामिल है।
        - इस पहल का उद्देश्य प्रभावी कोयला परिवर्तन नीतियों के लिये सर्वोत्तम प्रथाओं और प्राप्त सीख का लाभ उठाना है।
- **जलवायु कार्रवाई के लिये उच्च महत्त्वाकांक्षा बहुस्तरीय भागीदारी गठबंधन (CHAMP):**
    - कुल 65 राष्ट्रीय सरकारों ने जलवायु रणनीतियों की योजना, वित्तपोषण, कार्यान्वयन एवं निगरानी में उपराष्ट्रीय सरकारों के साथ, जहाँ लागू और उचित हो, सहयोग बढ़ाने के लिये CHAMP प्रतिबद्धताओं पर हस्ताक्षर किये।
- **COP28 में भारत के नेतृत्व वाली पहल:**
    - **ग्लोबल रिन्यूएबल्स अलायंस (GRCA):**

- इसे भारत सरकार के **जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG)** के नेतृत्व में COP28 में लॉन्च किया गया था।
- GRCA एक अनूठा गठबंधन है जो विश्व के 11 देशों के 275+ नदी-शहरों को कवर करता है।
    - भागीदार देशों में मिस्र, नीदरलैंड, डेनमार्क, घाना, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, कंबोडिया, जापान एवं नीदरलैंड से हेग (डेन हाग), ऑस्ट्रेलिया से एडलिड और हंगरी के स्ज़ोलनोक के नदी-शहर शामिल हैं।
- GRCA **सतत् नदी-केंद्रित विकास** तथा जलवायु लचीलेपन **में भारत की भूमिका** पर प्रकाश डालता है।

- **हरित ऋण पहल:**
    - GRCA मंच ज्ञान के आदान-प्रदान, नदी-शहर के जुड़ाव एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रसार की सुविधा प्रदान करेगा।
    - भारत ने नवीन **पर्यावरण कार्यक्रमों और उपकरणों के आदान-प्रदान तथा एक भागीदारीपूर्ण वैश्विक मंच बनाने के लिये** यहाँ COP28 में ग्रीन क्रेडिट पहल शुरू की।
    - इस पहल की दो मुख्य प्राथमिकताएँ **जल संरक्षण** और **वनीकरण** हैं।
    - इस पहल का मुख्य उद्देश्य देश के सामने आने वाले **जलवायु संबंधी मुद्दों में बदलाव** लाने वाले बड़े निगमों और निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करके वृक्षारोपण, जल संरक्षण, **टिकाऊ कृषि** एवं **अपशिष्ट प्रबंधन** जैसी स्वैच्छिक **पर्यावरणीय गतिविधियों को बढ़ावा देना** है।

UNFCCC
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP)

कॉन्फ्रेंस आफ पार्टीज:

- UNFCCC की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था
- प्रत्येक वर्ष बैठक होती है (जब तक कि पक्षकार अन्यथा निर्णय न लें)
- बॉन, सचिवालय में बैठक (जब तक कि कोई पार्टी सत्र की मेजबानी करने की पेशकश नहीं करती)
- पहला सीओपी- बर्लिन, जर्मनी में आयोजित (1995)

COPs और उनके प्रमुख परिणाम

COP 3 (1997)
क्योटो, जापान
- क्योटो प्रोटोकॉल (उत्सर्जन लक्ष्यों को कम करने के लिये विकसित देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी) अपनाया

COP 7 (2001)
मराकेश, मोरक्को
- मराकेश समझौते पर हस्ताक्षर (क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसमर्थन के लिये चरण निर्धारित)

COP 8 (2002)
नई दिल्ली, भारत
- दिल्ली घोषणा (सबसे गरीब देशों की विकास आवश्यकताओं तथा जलवायु परिवर्तन शमन के लिये प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (सीसी)

COP 13 (2007)
बाली, इंडोनेशिया
- बाली रोड मैप और बाली कार्य योजना (साझा दृष्टि, शमन, अनुकूलन, प्रौद्योगिकी और वित्तपोषण)

COP 14 (2008)
पॉज़्नान, पोलैंड
- क्योटो प्रोटोकॉल के तहत अनुकूलन कोष लॉन्च किया गया
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर पॉज़्नान सामरिक कार्यक्रम

COP 15 (2009)
कोपेनहेगन, डेनमार्क
- विकसित देशों ने फास्ट-स्टार्ट फाइनेंस (2010-12 के लिये) में +30 बिलियन तक का अनुदान देने का वचन दिया

COP 16 (2010)
कानकुन, मेक्सिको
- कानकुन समझौता (CC से निपटने में विकासशील देशों की सहायता)
- स्थापना: हरित जलवायु कोष

COP 18 (2012)
दोहा, कतर
- क्योटो प्रोटोकॉल में दोहा संशोधन (1990 के स्तर की तुलना में ग्रीन हाउस उत्सर्जन में 18% की कमी)

COP 19 (2013)
वारसॉ, पोलैंड
- REDD प्लस के लिये वारसॉ फ्रेमवर्क
- लॉस और डेमेज के लिये वारसॉ अंतर्राष्ट्रीय तंत्र

COP 21 (2015)
पेरिस, फ्राँस
- पेरिस समझौता (वैश्विक तापमान को पूर्व-औद्योगिक समय से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना)
- अमीर देशों द्वारा जलवायु वित्त
- अमीर देशों द्वारा वार्षिक100 अरब डॉलर की फंडिंग)

COP 24 (2018)
काटोवाइस, पोलैंड
- पेरिस समझौते के लिये नियम पुस्तिका (NDC के अनुसार की जाने वाली कार्रवाई)

COP 26 (2021)
ग्लासगो, यूके
- भारत ने नेट जीरो लक्ष्य 2070 की घोषणा की
- भारत ने कोयला आधारित बिजली को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का आह्वान किया
- ग्लासगो ब्रेकथ्रू एजेंडा (41 देश + भारत)

COP 27 (2022)
शर्म-अल-शेख, मिस्र
- लॉस और डेमेज फंड
- पूर्व चेतावनी प्रणाली के लिये USD 3.1 बिलियन की योजना
- जलवायु आपदाओं से पीड़ित देशों के लिये G7 के नेतृत्व वाली 'ग्लोबल शील्ड फाइनेंसिंग फैसिलिटी'
- अफ्रीकी कार्बन बाजार पहल
- जल अनुकूलन और लचीलापन (AWARe) पहल के लिये कार्रवाई
- मैंग्रोव एलायंस (भारत के साथ साझेदारी में)
- भारत की दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति

//

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) के सी.ओ.पी. के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिये। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएँ क्या हैं? (2021)

बिहार आरक्षण कानून और 50% की सीमा का उल्लंघन

प्रिलिम्स के लिये:

बिहार आरक्षण कानून और 50% सीमा का उल्लंघन, **सर्वोच्च न्यायालय (SC)**, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, 77वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1995।

मेंस के लिये:

बिहार आरक्षण कानून और 50% सीमा का उल्लंघन, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये सरकारी नीतियाँ एवं हस्तक्षेप तथा उनके योजना एवं कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बिहार विधानसभा में बिहार आरक्षण कानून पारित किया गया, **जिससे राज्य में नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मात्रा** बढ़कर 75% हो गई, जो सर्वोच्च न्यायालय (SC) द्वारा बरकरार रखे गए 50% नियम का उल्लंघन है।

- इसने **भारत में आरक्षण की अनुमेय सीमा** के बारे में बहस छेड़ दी है, विशेष रूप से मंडल आयोग मामले (इंद्रा साहनी, 1992) में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित "50%" सीमा के मद्देनज़र।

बिहार आरक्षण कानून की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- ये कानून हैं **बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये) संशोधन अधिनियम 2023 तथा बिहार (शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश में) आरक्षण अधिनियम, 2023।**
- संशोधित अधिनियम के तहत, दोनों मामलों में कुल 65% आरक्षण होगा, जिसमें अनुसूचित जाति के लिये 20%, अनुसूचित जनजाति के लिये **2%**, पिछड़ा वर्ग के लिये 18% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिये 25% आरक्षण होगा।
- इसके अलावा केंद्रीय कानून के तहत पहले से मंज़ूरी प्राप्त EWS (आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग के लोगों) को **10% आरक्षण** मिलता रहेगा।

50% नियम क्या है?

- **परिचय:**
  - 50% नियम, जिसे ऐतिहासिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है, यह निर्देश देता है कि भारत में नौकरियों या शिक्षा के लिये **आरक्षण कुल सीटों या पदों के 50% से अधिक नहीं होना चाहिये।**
  - प्रारंभ में वर्ष 1963 के एम.आर. बालाजी मामले में सात-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा स्थापित, आरक्षण को संवैधानिक ढाँचे के तहत एक **"अपवाद" या "विशेष प्रावधान"** माना जाता था, जिससे उपलब्ध सीटों की अधिकतम 50% तक सीमित थी।
  - हालाँकि आरक्षण की समझ वर्ष 1976 में विकसित हुई जब यह स्वीकार किया गया कि आरक्षण कोई अपवाद नहीं है बल्कि समानता का एक घटक है। परिप्रेक्ष्य में इस बदलाव के बावजूद **50% की सीमा अपरिवर्तित रही।**
  - **वर्ष 1990 में मंडल आयोग** मामले में नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने **50% की सीमा की फिर से पुष्टि की और कहा कि यह एक बाध्यकारी नियम है**, न कि केवल विवेक का मामला है। हालाँकि यह अपवाद के बिना कोई नियम नहीं है।
  - राज्य हाशिये पर और सामाजिक मुख्यधारा से बाहर किये गए समुदायों को आरक्षण प्रदान करने के लिये **विशिष्ट परिस्थितियों में सीमा को पार कर सकते हैं, विशेष रूप से भौगोलिक स्थिति के बावजूद।**
  - इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय की 103वें संवैधानिक संशोधन की हालिया पुष्टि **आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS)** के लिये

अतिरिक्त 10% आरक्षण को मान्य करती है।
    - इसका मतलब है कि **50% की सीमा केवल गैर-EWS आरक्षण पर लागू** होती है और राज्यों को EWS आरक्षण सहित कुल 60% सीटें/पद आरक्षित करने की अनुमति है।
- **अन्य राज्य सीमा पार कर रहे हैं:**
    - अन्य राज्य जो EWS कोटा को छोड़कर भी पहले ही 50% की सीमा को पार कर चुके हैं, वे हैं **छत्तीसगढ़ (72%), तमिलनाडु** (69%, वर्ष 1994 के अधिनियम के तहत संविधान की नौवीं अनुसूची के तहत संरक्षित) और कई उत्तर-पूर्वी राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम और नगालैंड (80% प्रत्येक) शामिल हैं।
    - लक्षद्वीप में **अनुसूचित जनजातियों के लिये 100% आरक्षण** है।
    - **महाराष्ट्र और राजस्थान** के पिछले प्रयासों को न्यायालयों ने खारिज़ कर दिया है।

संविधान और आरक्षण

- **77वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1995:** इंद्रा साहनी मामले में कहा गया था कि आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों में होगा, पदोन्नति में नहीं।
- हालाँकि संविधान में अनुच्छेद 16(4A) को जोड़ने से राज्य को SC/ST कर्मचारियों के लिये पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के प्रावधान करने का अधिकार मिल गया, अगर राज्य को लगता है कि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- **81वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2000:** इसमें अनुच्छेद 16(4B) पेश किया गया, जिसके अनुसार किसी विशेष वर्ष का रिक्त SC/ST कोटा, जब अगले वर्ष के लिये आगे बढ़ाया जाएगा, तो उसे अलग से माना जाएगा एवं उस वर्ष की नियमित रिक्तियों के साथ नहीं जोड़ा जाएगा।
- **85वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2001:** इसमें पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया है जिसे जून 1995 से पूर्वव्यापी प्रभाव से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों के लिये 'पारिणामिक वरिष्ठता' के साथ लागू किया जा सकता है।
- **संविधान में 103वाँ संशोधन (2019):** EWS (आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग) के लिये 10% आरक्षण।
- **अनुच्छेद 335:** इसके अनुसार संघ या राज्य के कार्यों से संसक्त सेवाओं और पदों के लिये नियुक्तियाँ करने में प्रशासनिक प्रभावशीलता को बनाए रखते हुए **अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जातियों के सदस्यों की मांगों को पूरी तरह से ध्यान में रखा जाना चाहिये**।

आगे की राह

- न्यायालयों को विकसित सामाजिक गतिशीलता, समानता सिद्धांतों तथा बदलते सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य पर विचार करते हुए **50% आरक्षण सीमा का पुनर्मूल्यांकन** करना चाहिये।
- भौगोलिक सीमाओं के बावजूद, ऐतिहासिक क्षति का सामना करने वाले समुदायों के लिये व्यापक मानदंडों को शामिल करने के लिये सामाजिक बहिष्कार से परे अपवादों का विस्तार करने पर विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है।
- **मौजूदा आरक्षण नीतियों की विस्तृत समीक्षा** करना, उनकी प्रभावशीलता, प्रभाव एवं वर्तमान सामाजिक आवश्यकताओं के साथ संरेखण करना।

वेब ब्राउज़र

क्रिप्टो परिसंपत्ति मध्यस्थों के बारे में FSB की चिंताएँ

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/13-12-2023/print